उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – प्रपत्र सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

कनीजा खातुन
बनाम
मो0 कलिमुल्लाह नुरानी वगै0

आदेश फलक तारीख.........से..........तक।जिला – गुमला

वाद सं0 :– 03/2010–11

वाद का प्रकार :– म्यूटेशन अपील (Mutation Appeal)

5/1/11

आवेदिका कनीजा खातुन पति–अब्दुल तालिक ग्राम–काँके चुरी टोला थाना–काँके जिला–राँची के द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–02/2008–09 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला के पारित आदेश, से विक्षुब्ध होकर अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी को प्रर्याप्त समय देने के वावजुद भी उनकी ओर से कोई अभीरुची नही ली गई।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के नामान्तरण अपील वाद सं0–02/2008–09 में दिनांक–12.09.2009 द्वारा पारित आदेश बिलकुल ही जायज है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अपीलार्थी द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के नामान्तरण अपील वाद सं0–02/2008–09 में दिनांक–12.09.2009 द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है।

कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Scanned with CamScanner